

मि.सं. 31-2/2015-अनुदान
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली- 110001
ई-मेल : archives@nic.in

दिनांक : 20 अप्रैल 2015

ज्ञापन

पूर्व ज्ञापन सं.31-2/2013 दिनांक 9 सितम्बर, 2013 का अधिक्रमण करते हुए राज्य संघ/शासित क्षेत्र अभिलेखीय भंडारणों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना हेतु अनुदान समिति का एतद्वारा दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2015-2016 और 2016-2017 के लिए पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. अभिलेख महानिदेशक, अध्यक्ष
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली-110 001
2. निदेशक, सदस्य
ए एंड ए
संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
3. श्री प्रतापानंद झा, सदस्य
निदेशक,
सांस्कृतिक सांयन्त्रिक संचार,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र,
राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली -110 001
4. प्रोफेसर अरविन्द सिन्हा, सदस्य
सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,

- नई दिल्ली-110 067
5. श्रीमती अनामिका पाठक सदस्य
क्यूरेटर (डेकोरेटिव आर्ट),
डेकोरेटिव आर्ट और प्रकाशन,
राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली- 110 001
6. श्री ए. के. माथुर सदस्य
सेवानिवृत्त सुपरिन्टेन्टिंग आरकेयलोजिकल कैमिस्ट,
आरकेयलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
के-40ए, साकेत, नई दिल्ली-110 017
7. डा. रमेश गौड़, सदस्य
पुस्तकालयाध्यक्ष, केंद्रीय पुस्तकालय,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110 067
8. डा. राजवंती मान, सदस्य
उप निदेशक,
हरियाणा राज्य अभिलेखागार,
सैक्टर-5, पचकुला, हरियाणा
9. निदेशक, सदस्य
कर्नाटक राज्य अभिलेखागार,
कमरा नं. 126, प्रथम तल,
विकास सौधा, मंगलुरु-560 001
10. सुपरिन्टेंडेंट सदस्य
ओडिशा राज्य अभिलेखागार,
पोस्ट बॉक्स नं. 35, सचिवालय मार्ग,

भुवनेश्वर-751 001, ओडिशा

11. निदेशक, सदस्य
पंजाब राज्य अभिलेखागार,
पुरालेख भवन, प्लॉट नं. 3, सैक्टर-38ए,
चंडीगढ़-160 036
पंजाब
12. निदेशक, सदस्य
राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर-334 001
राजस्थान
13. आयुक्त-सह-सचिव, सदस्य
सिक्किम राज्य अभिलेखागार,
क्लचरल अफैयरस एंड हेरिटेज विभाग,
सिक्किम सरकार, पुराना विधान सभा भवन,
जीरो पॉइंट, गैंगटोक-737 101
सिक्किम
14. अभिलेख उपनिदेशक, सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली-110 001

इसके अलावा, अध्यक्ष, अनुदान समिति किसी विशेषज्ञ/विषय के जानकार को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने और/या अनुदान समिति को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अपरिहार्य/ अनपेक्षित परिस्थितियों में कोई भी सदस्य अनुदान समिति के सदस्य सचिव को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधि को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

2. **कार्यकाल** : अनुदान समिति का पुनर्गठन दो वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2015-2016 और 2016-2017 के लिए किया जाता है। अनुदान समिति की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाएगी। सदस्य पुनः नियुक्त किए जाने के भी पात्र होंगे।

3. **कार्यालय** : समिति का सचिवालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 में होगा।

4. **बैठकें** : अनुदान की उपलब्धता तथा प्राप्त आवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की सारधारणतया कम से कम एक बैठक होगी।

5. **विचारार्थ विषय** : समिति की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा।

विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय भंडारणों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों द्वारा योजना के अंतर्गत भेजे गए प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों को जो राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति (एसएलएससी) द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किए गए हों और अध्यक्ष, अनुदान समिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 को प्राप्त हुए हों, की छानबीन के लिए समिति फोरम की तरह कार्य करेगी। जहां संवीक्षा समिति नहीं है, उसे मामले में आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किया गया हो। समिति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए जारी किए जाने वाले अनुदान की निश्चित राशि की सिफारिश करेगी।

भत्ते : समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जाएगा। सभी विशेष आमंत्रित, अनुदान समिति के सदस्यों के समान ही टीए/डीए आदि के हकदार होंगे।

(डा. एम. ए. हक)

अभिलेख उप-निदेशक

भारत सरकार

अनुदान समिति के सभी सदस्यों को योजना की एक प्रति सहित प्रेषित।